न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 71/2024

अनवान : –

1. आईदान पुत्र ईन्दाज जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. सुल्तान पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– असल अप्रार्थी

2. आत्माराम पुत्र ईन्द्राज जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
3. कृष्ण पुत्र हरपत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
4. छोटी पत्नि नानूराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
5. बजीर सिंह पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
6. मस्तान पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
7. सन्दीप पुत्र सत्यनारायण जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
8. सुभाष पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
9. सहीराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 08/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 एन.टी. आर.बी तहसील नोहर के खाता सं. 10/10 के प.न. 383/419 मु.न. 21 के किला नं. 3 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 4/1 की 0.2150 हैक्टर 4/2 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 5/1 की 0.2150 हैक्टर 5/2 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 6/1 की 0.2150 हैक्टर 6/2 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 7 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 8 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 10 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 13 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 14 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 15/1 की 0.2150 हैक्टर 15/2 की 0. 0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 16/1 की 0.2150 हैक्टर 16/2 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 17 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 18 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 23 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 24 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 25/1 की 0.2150 हैक्टर 25/2 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता, कुल 22 किता की नहरी 3.5670 हैक्टर गै.मु. रास्ता [illegible] हैक्टर व 0.2530 बारानी भूमि कुल 22 खसरेजात की 4.0480 हैक्टर भूमि स्थित है। [illegible] भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/16 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी सं. 2 का 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 का 1/[illegible] हिस्सा, तरतीबी [illegible] सं. 3 का 1/8 हिस्सा, तरतीबी अप्रार्थी सं. 4 का 1/24 हिस्सा, तरतीबी अप्रार्थी सं. 5 का 5/48 हिस्सा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

तरतीबी अप्रार्थी सं. 6 का 1/16 हिस्सा, तरतीबी अप्रार्थी सं. 7 का 1/116 हिस्सा तरतीबी अप्रार्थी सं. 8 का 5/48 हिस्सा, तरतीबी अप्रार्थी सं. 9 का 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 11 एन.टी.आर.बी तहसील नोहर के खाता सं. 10/10 के प.न. 383/419 मु.न. 21 के किला नं. 5–6–15–16–25 में रास्ता स्वीकृत है परन्तु प.न. 383/419 मु.न. 21 के किला नं. 4/2 में 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता स्वीकृत कर रखा है जबकि उक्त गै.मु. रास्ता सहबन से दर्ज हुवा है प.न. 383/419 मु.न. 21 के किला नं. 4/2 की भूमि कभी भी रास्ता के रूप में नहीं रही है तथा मौके पर कोई रास्ता नही है तथा किसी भी न्यायालय के आदेश से भी दर्ज नहीं हुई है मात्र राजस्व महकमा अमला मला से सहबन से त्रुटिवश दर्ज हुवा है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है तथा गै.मु. रास्ता के स्थान पर बतौर खातेदार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा गै0मु0 रास्ता को मुमकिन कर दुरूस्त करे देवे परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

किला नं. 4/2 गलती से गै.मु. रास्ता दर्ज हुवा है उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है तथा रास्ते के रूप में कभी भी नही रही है तथा उक्त भूमि को गै.मु. रास्ता दर्ज रहने से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होती है तथा पूर्व की जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि खातेदारी दर्ज है इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि को बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर रोही मौजा चक 11 एन.टी.आर.बी तहसील नोहर के खाता सं. 10/10 के प.न. 383/419 मु.न. 21 के किला नं. 4/2 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता के स्थान पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के बतौर हक वहिस्सानुसार खातेदार दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज है लेकिन रास्ता मौके पर बन्द है एवं कभी भी चालू अवस्था में नही था।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि [illegible] .आर.बी तहसील नोहर के खाता सं. 10/10 के प.न. 383/419 मु.न[illegible] में रास्ता स्वीकृत है परन्तु प.न. 383/419 मु.न. 21 के कि[illegible] हैक्टर गै.मु. रास्ता स्वीकृत कर रखा है जबकि उक्त गै.मु. रास्ता सहबन से दर्ज हुवा है प.[illegible] 383/419 मु.न. 21 के किला नं. 4/2 की भूमि कभी भी रास्ता के रूप में नहीं रही हैं तथा मौके पर कोई रास्ता नही है तथा किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय के आदेश से भी दर्ज नहीं हुई है मात्र राजस्व महकमा अमला मला से सहबन से त्रुटिंवश दर्ज हुवा है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है तथा गै.मु. रास्ता के स्थान पर बतौर खातेदार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा रोही मौजा चक 11 एन.टी.आर.बी तहसील नोहर के खाता सं. 10/10 के प.न. 383/419 मु.न. 21 के किला नं. 4/2 की 0.0380 हैक्टर गै.मु. रास्ता की भूमि को मुमकिन दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की अनुसार उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है लेकिन रास्ता मौके पर बन्द है एवं कभी भी चालू अवस्था में नही था। लेकिन प्रार्थी द्वारा गै0मु0 रास्ता यानि की राजकीय भूमि को खातेदारी/मुमकीन दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है लेकिन गै0मु0 रास्ता /राजकीय भूमि को मुमकिन/खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का कोई प्रावधान नही है व नही राजकीय सार्वजनिक उपयोग की भूमि को सीधे ही बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी नही है। अतः गै0मु0 रास्ता की भूमि को मुमकिन/ खातेदारी दर्ज किया जाना उचित नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/09/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया प

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:31:53 IST
Reason: SelfAttested